राजस्व प्रार्थना पत्र 80/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00218
तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 80/2020

प्रार्थी–

1. तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत, निवासी– डेह तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

दिनांक 21/6/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम तेजसिंह पुत्र अचलसिंह ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892/1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123/1901 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829/1903 में तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह पुत्र अचलसिंह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 200000347954, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/108536, पेनकार्ड संख्या ऐएआईपीयू1439पी, आधार कार्ड संख्या 3331 3751 2939, भामाशाह क्रमांक वाईबीजीएफसीबीओ मे प्रार्थी का सही नाम तेजसिंह पुत्र अचलसिंह दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 27.04.2022 को मय हल्का आईएलआर व पटवारी डेह की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी मौजा डेह के संम्वत 2073–2076 खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892/1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123/1901 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829/1903 स्थायी में तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह पुत्र अचलसिंह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के ग्राम डेह के खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892/1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर

21/6/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

123 / 1901, ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829 / 1903 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 200000347954 , मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 108536, पेनकार्ड संख्या ऐऐआईपीयू1439पी , आधार कार्ड संख्या 3331 3751 2939, भामाशाह क्रमांक वाईबीजीएफसीबीओ में नाम तेजसिंह पुत्र अचलसिंह दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह नाम से पुकारने के कारण प्रार्थी स्वंय द्वारा न्यायालय में दायर वाद के निर्णय उपरांत उस निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामान्तकरण तथा खसरा नंबर 892 नये राजस्व ग्राम किशनपुरा की भूमि वादी के पिता अचलसिंह के नाम दर्ज थी। अचलसिंह की मृत्यू के पश्चात् ग्राम डेह के नामान्तकरण संख्या 3575 द्वारा प्रार्थीगण वगैरह के नाम दर्ज की गई। उसके पश्चात् विभाजन द्वारा नामान्तकरण संख्या 3597 द्वारा वादीगण के खसरा नंबर 891 / 1 रकबा 04.10 बीघा दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थी द्वारा जरिये न्यायालय निर्णय से दो खसरों में नाम लिखवाया गया था उसी अनुसार उसके आगे विरासत का नामान्तकरण पहले के खाते में अंकित नामों अनुसार ही दर्ज किया गया। उपस्थित मौतबिरानों ने तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह तथा तेजसिंह दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी डेह तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 200000347954 , मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 108536, पेनकार्ड संख्या ऐऐआईपीयू1439पी , आधार कार्ड संख्या 3331 3751 2939, भामाशाह क्रमांक वाईबीजीएफसीबीओ तथा ग्राम डेह के खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892 / 1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123 / 1901, ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829 / 1903 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम डेह के खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892 / 1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123 / 1901, ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829 / 1903 में प्रार्थी का नाम तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह पुत्र अचलसिंह के स्थान पर तेजसिंह पुत्र अचलसिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज डेह तहसील के खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892 / 1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123 / 1901, ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829 / 1903 खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि न्यायालय के निर्णय एवं विभाजन के नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन

सहायक कलेक्टर
(रा.अ.) जायल

कार्ड संख्या 200000347954 , मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/108536, पेनकार्ड संख्या ऐऐआईपीयू1439पी , आधार कार्ड संख्या 3331 3751 2939, भामाशाह क्रमांक वाईबीजीएफसीबीओ की फोटो प्रति में प्रार्थी तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह एवं तेजसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तकरण एवं तथा शेष मुतदाविया खसरान् में उसी अनुसार भरे गये विभाजन के नामान्तकरण के समय तेजसिंह के स्थान पर तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि तेजसिंह उ र्फ मांगुसिंह पुत्र अचलसिंह एवं तेजसिंह पुत्र अचलसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम डेह के खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892/1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123/1901, ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829/1903में दर्ज खातेदार नाम तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह पुत्र अचलसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम तेजसिंह पुत्र अचलसिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम डे हके खतौनी सं. 577 के खसरा नम्बर 892/1, खतौनी सं. 578 के खसरा नंबर 123/1901 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 74 के खसरा नंबर 829/1903 में दर्ज नाम तेजसिंह उर्फ मांगुसिंह के स्थान पर तेजसिंह पुत्र अचलसिंह दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल